

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2159] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937

No. 2159] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2724(अ).—केन्द्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5ए की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) का पुर्नगठन करती है और दिनांक 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1330(असा.) में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्र. सं. 24 पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् –

सदस्य

- (घ) धारा ५ए की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अन्तर्गत नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
- 24. श्री बालासुब्रमण्यम कमारस्, नियोक्ता प्रतिनिधि

[सं. वी-20012/1/2013-एसएस.II] मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2015

S.O. 2724(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby reconstitutes the Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and makes the following amendment in this Ministry's Notification published in the Gazette of India having No. S.O. 1330 (E) dated 23rd May, 2013.

4246 GI/2015 (1)

2. In the said Notification the following entries shall be substituted at Sl. No. 24, namely.-

MEMBERS

- (d) Representatives of Employers under clause (d) of sub-section (1) of Section 5A.
- 24. Shri Balasubrahmanyam Kamarsu, Employers' Representative

[No. V-20012/1/2013-SS.II] MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.